

राष्ट्रीय बाँस मशिन

प्रलिस के लयल:

राष्ट्रीय बाँस मशिन, बाँस कषेत्र, केंद्रीय परायोजतल योजनल, बाँस से संबंघतल पहल ।

मेन्स के लयल:

बाँस के कषेत्र कल महत्त्व ।

चरुल में कयों?

हलल ही में कृषल मंत्रललय ने पुनर्रगठतल [राष्ट्रीय बाँस मशिन \(National Bamboo Mission- NBM\)](#) के तहत बाँस कषेत्र से संबंघतल वभलनलन वकलसलतमक योजनलओं को सुव्यवस्थतल करने के लयल एक सललहकलर समूह कल गठन कयल है ।

राष्ट्रीय बाँस मशिन

परचय:

- [केंदर परायोजतल योजनल](#) (Centrally Sponsored Scheme CSS) के रूड में पुनर्रगठतल राष्ट्रीय बाँस मशिन (NBM) को वरुष 2018-19 के दूरलन शुरु कयल गल थल ।
- यह मशिन परमुख तूर पर रोडण सलमगरी, वृकषारोडण, संगरह हेतु सुवधलओं कल नर्रमलण, एकतुरीकरण, परसंसकरण, वडणन, सूकषम, लघु एवं मध्यम उदयम, कुशल शरमशकतल और बर्रणुड नर्रमलण पहल के लयल योजनलओं के करयलनवयन से लेकर उत्पादकों को उपभोक्तलओं के सलथ जोडने के लयल [बाँस कषेत्र की संपूरण मूल्य शृखलल के वकलस](#) पर कलसुटर दृषुटकलण मोड पर अपना धयलन केंदरतल करतल है ।

उददेशय:

- कृषल आय के डूरक के लयल गैर-वन सरकलरी और नजल डूमल में बाँस के वृकषारोडण के तहत कषेत्र में वृदध करनल और जलवलयु परवलरुतन के लकललेडन में योडडलन देनल ।
- कसलनलं को डलडलरों से जोडनल तलक कसलन उत्पादकों को उगलए गल बाँस के लयल एक तैयलर डलडलर मलल सके और घरेलू उदयोड को उचतल कचचे मलल कल आपूरुतल में वृदध हो सके ।
- यह उदयमों और परमुख संसथलनलं के एकलकरण के सलथ डलडलरों कल आवश्यकतल के अनुसलरपररकल बाँस शललडकलरों के कौशल को उन्नत करने कल भी परयलस करतल है ।

नोडल मंत्रललय:

- कृषल और कसलन कललयलण मंत्रललय ।

बाँस कषेत्र:

महत्त्व:

- बाँस उदयोड संसलधन उपयोड के कई रलसुते खोलकर एक चरणडदध तरलके से परवलरुतन दखल रहल है ।
- बाँस डौधों कल एक बहुमुखी समूह है जो लोडों को डलरसुथतलकल और आजीवकल संबंधी सुरकषल मुहैयल करलने में सकषम है ।
- हलल ही में परधलनमंत्रलरी ने डंगललुरु (कडडलडगौडल) हवलई अडुडे के नए टरुमनलल कल उदघलटन कयल, जसलमें एक वलसुतुशलललड और संरचनलतमक सलमगरी के रूड में बाँस कल बहुमुखी परतडल सलडतल हुई है और इस हरतल संसलधन कल सडडदल को 'हरतल इसुडलत' के रूड में परडलषतल कयल गल है ।
- नर्रमलण कषेत्र में डजललन और संरचनलतमक तत्त्व के रूड में उपयोड करने के अतरकलत, बाँस कल कषमतल बहुआयलमी है ।
- बाँस से डने परयलवरण के अनुकूल डलले जल सकने वलले वसुतुएँ डलसुतकल के उपयोड कल सथलन ले सकतल है । बाँस अपनी तेज डैदलवलर व वकलस दर और परचुरतल के करण इथेनलल तथा जैव-करुजल उत्पादन के लयल एक वशलवसनीय सुरुत है ।
- बाँस आधलरतल जीवनशैली उत्पादों, कटलरी, घरेलू सजलवट, हसुतशलललड और सौदर्य परसलधनलं कल डलडलर भी वकलस के डथ पर है ।

डलरत में बाँस उत्पादन कल सथतल:

- भारत में सर्वाधिक क्षेत्र (13.96 मिलियन हेक्टेयर) पर बाँस की खेती की जाती है तथा भारत बाँस की 136 विविध प्रजातियों (125 स्वदेशी और 11 विदेशी) की खेती करने वाला चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है।

बाँस क्षेत्र हेतु पहल:

- **बाँस क्लस्टर:** केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री ने 9 राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और कर्नाटक में 22 **बाँस क्लस्टरों** का उद्घाटन किया है।
- **MSP वृद्धि:** हाल ही में, केंद्र सरकार ने **लघु वनोत्पाद (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को संशोधित किया है।
 - MFP में पौधीय मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पाद जैसे- बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गम, वेक्स, डाई, रेज़िन और कई प्रकार के खाद्य जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं।
- **बाँस को 'वृक्ष' की श्रेणी से हटाना:** वृक्षों की श्रेणी से बाँस को हटाने के लिये वर्ष 2017 में **भारतीय वन अधिनियम 1927** में संशोधन किया गया था।
 - परणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की कटाई और परिवहन के लिये अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- **कृषि उत्पादक संगठन (FPO):** 5 वर्ष में 10,000 नए **FPO** बनाए जाएंगे।
 - FPO कृषिों को बेहतर कृषि पद्धतियों प्रदान करने, इनपुट खरीद का सामूहिककरण, परिवहन, बाज़ारों के साथ जुड़ाव और बेहतर मूल्य प्राप्ति जैसी सहायता प्रदान करने में संलग्न हैं क्योंकि ये बचौलियों को दूर करते हैं।

आगे की राह:

- "आत्मनिर्भर कृषि" के माध्यम से **आत्मनिर्भर भारत अभियान** में योगदान देने के लिये राज्यों को राष्ट्रीय बाँस मशिन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बाँस की बहुतायत और इसके तेज़ी से बढ़ते उद्योग के साथ, **भारत का लक्ष्य नरियात को और भी अधिक बढ़ाकर इंजीनियर्ड और दस्तकारी उत्पादों दोनों के लिये वैश्विक बाज़ारों में खुद को स्थापित करने का होना चाहिये।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन नविसियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गिराने का अधिकार है।
2. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन नविसियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- भारतीय वन (संशोधन) विधियक 2017 गैर-वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बाँस की कटाई और पारगमन की अनुमति देता है। हालाँकि, वन भूमि पर उगाए गए बाँस को एक वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा और मौजूदा कानूनी प्रतर्बिधों द्वारा निर्देशित किया जाएगा **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन नविसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 बाँस को लघु वन उपज के रूप में मान्यता देता है और अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन नविसियों को "स्वामित्व, लघु वन उपज एकत्र करने, उपयोग और नपिटान तक पहुँच" का अधिकार देता है। **अतः कथन 2 और 3 सही हैं।**

अतः विकल्प B सही उत्तर है।

स्रोत: पी.आई.बी.

